Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 207–2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, NOVEMBER 28, 2022 (AGRAHAYANA 7, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 नवम्बर, 2022

संख्या 1/51/2021–1 टी०सी०पी०.– पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 23) की धारा 42 की उप–धारा (5) और धारा 44 की उप–धारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल निर्देश देते हैं कि दिनांक 08/03/2021 को सरकार द्वारा अधिसूचित पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमाओं के भीतर तथा नगर निगम पंचकुला क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित अचल संपत्ति के अंतरण पर शुल्क, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त, पंचकुला महानगर विकास अधिनियम, 2021 की धारा 42 की उप–धारा (5) और धारा 44 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किस्म की प्रत्येक लिखित पर विनिर्दिशट राशि का 1% की दर से होगा।

शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों के पंजीकरण के समय पर संग्रहित किया जाएगा तथा पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण को इसका भुगतान किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी अचल संपत्ति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थित हैं।

अरूण गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग ।